संक्षिप्त विचारण अन्तर्गत धारा 263, 264 दंड प्रकिया संहिता 1973

न्यायालयः–सुधीर सिंह निगवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरवाई

जिला विदिशा (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण **कमांक** 327 **/22** अपराध किया जाने का दिनांक 28/09/22

रिपोर्ट या परिवाद का दिनांक 28/09/22

परिवादी का नाम व पता आरक्षी केन्द्र कुरवाई, **जिला विदिशा**

अभियुक्त/गण का नाम, पैत्रकता, और निवास

धावसिंह लोधी पि० कुंदेल सिंह उम्र 40 साल

निवासी ग्राम - बरखेड़ा

परिवादित अपराध का विवरण

1. आप आरोपी/गण ने दिनांक 28/09/22 समय 14:30 बजे स्थान ग्राम बरखेड़ा मोड़ के पास आरक्षी केन्द्र कुरवाई, जिला विदिशा में अपने आधिपत्य मे बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से विकय हेतु 26 क्वार्टर देशी प्लेन शराब के रखे हुये पाये गये। इसके द्वारा आपने धारा 34(1)(क) म.प्र.आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन दंडनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के संज्ञान के अधीन है।

सुधीर सिंह निगवाल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
कुरवाई, जि० विदिशा

अभियुक्त/गण का अभिवाक् एवं परीक्षणः–

अपराध स्वेच्छया स्वीकार है।

सुधीर सिंह निगवाल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
कुरवाई, जि० विदिशा

स्वीकार है

निर्णय

(आज दिनांक 19/10/2022 को घोषित)

निष्कर्ष

01— अभियुक्त/गण की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे/उन्हें धारा 34(1)(क) म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 के आरोप मे दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त/गण को परिवीक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

दंडादेश या अन्य अंतिम आदेश

02— दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्त/गण को धारा 34(1)(क) म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 के अधीन दंडनीय अपराध मे दोषसिद्धी पर न्यायालय अवसान तक की सजा एवं रूपये ......1000/-........ /—रूपये (एक हजार.......... रूपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदायगी में व्यतिकम पर अभियुक्त/गण को 15—15 दिवस का कठोर कारावास भुगताया जावे।

03— प्रकरण मे जप्तशुदा '26 क्वाटर देशी प्लेन शराब'...

धारा 452(4) दंड प्रकिया संहिता मे विहित सीमावधि पश्चात् नष्ट किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे आलेख पर टंकित किया गया।

[हस्ताक्षर] 19/10/2022

सुधीर सिंह निगवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
कुरवाई, जि0 विदिशा

(मुहर: सुधीर सिंह निगवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.))

[हस्ताक्षर] 19/10/2022

सुधीर सिंह निगवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
कुरवाई, जि0 विदिशा

(मुहर: सुधीर सिंह निगवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.))